फॉर्म सं0-563

पत्रांक-1765 अधिनियम, भूमि वाद प्रतिवेदन वही कार्य टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

5 (1.) छब्बु भुईयाँ पिता स्व0 महरू भुईयाँ, (2.) दीपक कुमार पिता स्व0 महरू राम, (3.) बिक्की कुमार पिता स्व0 नागेश्वर भुईयां एवं (4.) विशाल कुमार राम पिता स्व0 नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-बिरबिर, पोस्ट-सीतागढ़, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-बैलामुण्डवार, थाना संख्या-235, खाता संख्या-36 प्लॉट संख्या-190 रकबा 0.12 एकड़ (12 डिसमिल) (बारह डिसमिल) भूमि फुलमती देवी पति संतोष कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-बहोरनपुर, पोस्ट-चन्दवार, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-309/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1785/रा0 दिनांक 25.05.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1765 दिनांक 05.06.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत बरैया भुईयाँ हैं। खतियान में भूमि का कुल रकबा 0.66 एकड़ दर्ज है तथा केवाला के अनुसार खरीदगी भूमि रकबा 0.39 एकड़ है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 0.39 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-148/I पर मुलिया देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदकगण की दादी जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 0.27 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को हरा रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) छत्तु भुईयाँ पिता स्व0 महरू भुईयाँ, (2.) दीपक कुमार पिता स्व0 महरू राम, (3.) विक्की कुमार पिता स्व0 नागेश्वर भुइंया एवं (4.) विशाल कुमार राम पिता स्व0 नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-बिरबिर, पोस्ट-सीतागढ़, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-बेलाभुण्डवार, थाना संख्या-235, खाता संख्या-36 प्लॉट संख्या-190 रकबा 0.12 एकड़ (12 डिसमिल) (बारह डिसमिल) भूमि फुलमती देवी पति संतोष कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-बहोरनपुर, पोस्ट-चन्दवार, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.23 16:52:14 +05:30
Location: 192.168.0.107